निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 (कानूनी नियम और आदेश)

प्ररूप 21 ग

(नियम 64 देखिए) (साधारण निर्वाचन में उपयोग के लिए, जब स्थान सविरोध हो)

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 के अधीन निर्वाचन के परिणाम की घोषणा

121—सुमेरपुर विधान सभा निर्वाचन क्षेत्र के राजस्थान राज्य की विधान सभा के लिए निर्वाचन

निर्वाचनों का संचालन नियम, 1961 के नियम 64 के साथ पठित लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 66 में अन्तर्विष्ट उपबंधों के अनुसरण में मैं घोषणा करता हूँ कि —

श्री जोराराम कुमावत

50—51, नाकोड़ा भैरव कॉलोनी, भैरू चौक, सुमेरपुर, जिला पाली जो (मान्यता प्राप्त / रिजस्ट्रीकृत राजनैतिक पार्टी का नाम) भारतीय जनता पार्टी द्वारा खड़े किये गये।

उपर्युक्त निर्वाचन क्षेत्र से उस सदन में स्थान भरने के लिए सम्यक् रूप से निर्वाचित हुए है।

स्थान : पाली

दिनांक : 11 दिसम्बर, 2018

(विनोद कुमार मल्होत्रा)

121-समेरपुर विद्यमिन**ऑफिल्सि**र्वाचन क्षेत्र (उपखण्ड **अधिकार अधिकार एवं अधिकार** माजिर्द्रह्न, सुमेरपुर)

Conduct of Election Rules, 1961 (Statutory Rules and Order)

Form 21 C

(See Rule 64)

(For use in General Election when seat is contested)

Declaration of the result of Election under section 66 of the Representation of the People Act. 1951

Election to the Legislative Assembly of

RAJASTHAN (State) From 121- SUMERPUR Assembly Constituency.

In pursuance of the provisions contained in section 66 of the Representation of the People Act. 1951, read with rule 64 of the Conduct of Election Rules, 1961, I declare that -

Mr. JORARAM KUMAWAT

of 50-51, NAKODA BHAIRAY COLONY, BHAIRU CHOWK,

SUMERPUR, DISTRICT PALI Sponsored by Bharatiya Janata Party

(name of the recognised/registered political party) has been duly elected to fill the seat in that House from the above constituency.

Place: PALI

Dated: 11 December, 2018

(Vinod Kumar Malhotra)

Returning Officer
121-Sumerpur Assembly Constituency

(Sub Divisional Officer & Sub Divisional Magistrate, Sumerpur)

(Vinod Kumar Malhotra)

Returning Officer

121-Sumerpur Asserver Constituency (Sub Divisional Officer & Sub-Consultational Magnitrate)

Sumerpur